रिवीजन प्रकरण कमांकः ..../2018
प्रस्तुति तारीखः.................../2018

23

माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)
सर्कल बैंच इन्दौर के समक्ष

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2018/2089

(1) मनोहर सिंह पिता मानसिंह भाटी,
आयु 51 वर्ष व्यवसायः कृषि
निवासी ग्राम बडोदिया (खांडिया) पोस्ट–सुमठा
तहसील हातोद, जिला इन्दौर (म.प्र.)

(2) लाखनसिंह पिता श्री मानसिंह भाटी
आयु 46 वर्ष व्यवसाय कृषि
निवासी ग्राम बडोदिया (खांडिया) पोस्ट–सुमठा
तहसील हातोद, जिला इन्दौर (म.प्र.)

234
08-03-2018

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ....
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 08-3-2018
को प्रस्तुत।
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

(3) सुमनबाई पुत्री श्री मानसिंह भाटी
पति श्री रविसिंह,
निवासी–ग्राम रामपिपलिया, तहसील सांवेर
जिला इन्दौर (म.प्र.) .... प्रार्थीगण

विरूद्ध

(1) विकम सिंह पिता करण सिंह भाटी,
उम्र 60 वर्ष, व्यवसाय कृषि,
निवासी–ग्राम एवं पोस्ट चित्तौडा, तहसील सांवेर,
जिला इन्दौर (म.प्र.)

(2) मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा कलेक्टर महोदय इन्दौर .... प्रतिप्रार्थीगण

रिवीजन याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

"न्यायालय अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के द्वारा प्रकरण कमांक 0364/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2018 जिससे प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्थगन हेतु अंतर्गत धारा 52 म.प्र. भू राजस्व संहिता का निरस्त किया गया जिससे व्यथित होकर सदर रिवीजन याचिका इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। "

माननीय न्यायालय के समक्ष रिवीजन याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी /इंदौर /भूरा/18/2089

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री शान्तनु वक्ते द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दि. 5-2-2018 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के उपरांत स्थगन आवेदन निरस्त किया गया है, क्योंकि स्थगन देना अथवा नहीं देना प्रकरण की परिस्थिति एवं पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	